संख्या-10/2021/311 ई-2/तेरह-2021-97/2015

प्रेषक,

संजय आर. भूसरेड्डी
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 01 फरवरी, 2021

विषय-प्रदेश में स्थित आसवनियों में बी.हैवी शीरे से अल्कोहल उत्पादन की दशा में सी-हैवी शीरे से प्रतिदिन अल्कोहल उत्पादन क्षमता में होने वाली वृद्धि एवं सक्षम स्तर से स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय अपने पत्र सं.-जी.-65/दो-प्रा.डी.-26/प्रयागराज/दिनांक 21.12.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अंतर्गत प्रदेश में स्थित ऐसी आसवनियां जिनकी वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता सी-हैवी शीरे के आधार पर निर्धारित की गयी है, के द्वारा बी- हैवी शीरे का प्रयोग कर एथनाल उत्पादन किये जाने की दशा में उनकी अधिष्ठापित क्षमता में अन्तरिम रूप से 25 प्रतिशत तक की अधिकतम सीमा की वृद्धि आसवनी में बी-हैवी शीरा एवं अल्कोहल की भण्डारण क्षमता का परीक्षण करते हुए अनुमन्य किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण में आप द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त बी-हैवी शीरे से एथनाल का उत्पादन करने वाली आसवनियों की अधिष्ठापित क्षमता में आसवनी की बी-हैवी शीरा व अल्कोहल की भण्डारण क्षमता का परीक्षण करते हुए फिलहाल अंतरिम रूप से 25 प्रतिशत तक की सीमा वृद्धि अनुमन्य किये जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि बी-हैवी शीरे से अल्कोहल उत्पादन किये जाने के कारण अधिष्ठापित क्षमता में वृद्धि स्वीकृत होने पर आसवक को तत्काल बढ़ी हुयी क्षमता पर नियमानुसार अनुज्ञापन शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा तथा आसवनी में बी-हैवी शीरे के उपभोग के समाप्त होने पर सी हैवी शीरे से अल्कोहल उत्पादन किये जाने हेतु आसवनी के सहायक आबकारी आयुक्त से अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। इस तरह प्रदान की गयी अनुमति की प्रति आबकारी आयुक्त, उ.प्र. को प्रेषित की जायेगी। यही प्रक्रिया सी-हैवी शीरे से अल्कोहल उत्पादन समाप्त होने के पश्चात् बीहैवी शीरे से अल्कोहल उत्पादन हेतु भी अपनायी जायेगी।

3. भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 16.01.2020 द्वारा बी-हैवी शीरे से एथनाल का निर्माण करने वाली आसवनियों को 50 प्रतिशत तक की क्षमता वृद्धि बिना पर्यावरण क्लीरीयेन्स में परिवर्तन किये इस शर्त के साथ प्रदान की गयी है कि संबंधित राज्य ''प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड'' से ''प्रदूषण भार कोई वृद्धि नहीं'' प्रमाण पत्र प्राप्त करने

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

के लिए प्रक्रिया का पालन करेंगे। आपके उक्त पत्र दिनांक 21.12.2020 में किये गये अनुरोध के क्रम में उक्तानुसार अंतरिम रूप से अनुमन्य की गयी 25 प्रतिशत तक की क्षमता वृद्धि के उपरान्त भारत सरकार द्वारा अनुमन्य की गयी 50 प्रतिशत तक की क्षमता वृद्धि की सीमा तक कितने प्रतिशत और क्षमता वृद्धि अनुमन्य की जा सकती है, इस पर विचार कर संस्तुति देने के लिए एतत्द्वारा निम्नानुसार समिति गठित की जाती हैः-

1. अपर आबकारी आयुक्त(प्रशासन) उ.प्र., प्रयागराज-अध्यक्ष।
2. राष्ट्रीय शुगर संस्थान के निदेशक/निदेशक द्वारा नामित संबंधित संकाय के अध्यक्ष (एच.ओ.डी.)-सदस्य।
3. श्री बी.के. शुक्ला, अपर आयुक्त(शोध एवं समन्वयन) गन्ना आयुक्त कार्यालय, उ.प्र. -सदस्य।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1 उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड-सदस्य ।
5. श्री सभाजीत, प्राविधिक अधिकारी, आबकारी आयुक्त, कार्यालय, प्रयागराज- सदस्य/संयोजक
6. श्री हर्षवर्धन प्रधान प्रबन्धक, डी.सी. एम. श्रीराम लि., हरियांवा। (मो.नं.-8130179944) विशेष आमंत्री

बी-हैवी शीरे से आसवनियों की अधिष्ठापित क्षमता में होने वाली वृद्धि चीनी मिलों के कार्यकारी दिवस एवं बी-हैवी शीरा संचय के दिनों पर निर्भर करेगी। अतः उक्त समिति द्वारा इस पर भी विचार किया जायेगा कि **बी-हैवी शीरे के निर्मित होने के पश्चात् कितने दिनों तक इसे संचित किया जा सकता है।**

उपरोक्तानुसार गठित समिति द्वारा यथासमय अपनी संस्तुति आबकारी विभाग, उ.प्र. शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। अतः मामले में उपरोक्तानुसार अग्रतर कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(संजय आर. भूसरेड्डी)
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।